खण्ड: 4, अंक: 1 जनवरी 2021

संश्लेषण

डी सी आर सी मासिक पत्रिका

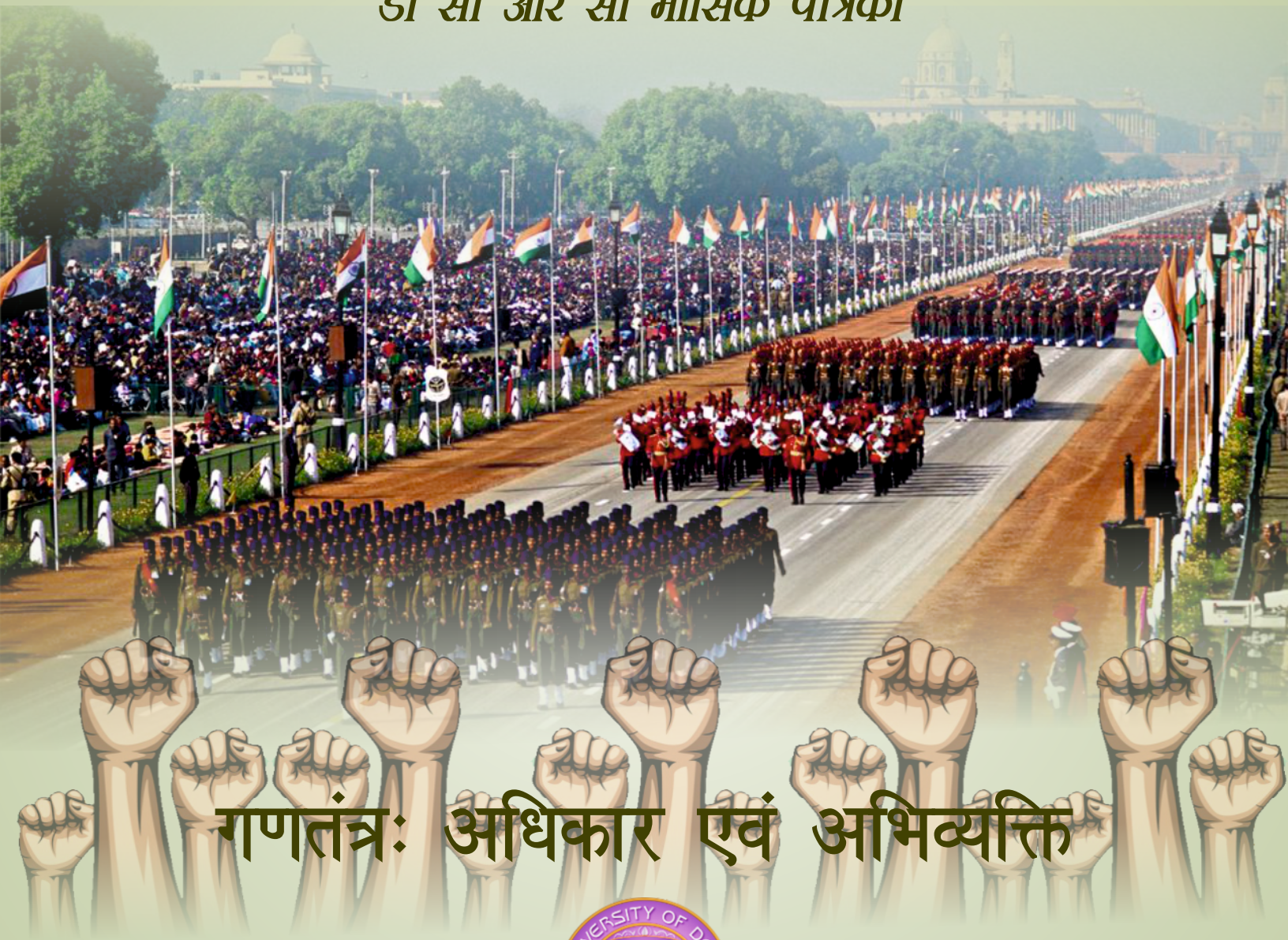

गणतंत्र: अधिकार एवं अभिव्यक्ति

डी.सी.आर.सी.
विकासशील राज्य शोध केंद्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2021

रूपाकंन एवं संयोजनः आर. किशोर

संश्लेषण

गणतंत्रः अधिकार एवं अभिव्यक्ति

अनुक्रमिका

संपादकीय		i-ii
1. गणतंत्र की अवधारणाः भारत–बोध एवं भावना	– सृष्टि	1–4
2. भारतीय गणतंत्रः शक्ति, दुर्बलता, अवसर एवं समस्याओं का विश्लेषण	– डॉ. अमित अग्रवाल	5–10
3. विरोध का अधिकारः एक मौलिक अधिकार?	– रजनी	11–14
4. भारत में निजता एवं अग्रिम योजना का अधिकार	– चंद्रिका आर्या	15–20
5. भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताः दुरुप्रयोग तथा वर्तमान परिदृश्य	– काजल	21–25
6. भारत एवं कज़ाखिस्तानः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तुलनात्मक अध्ययन	– चित्रा राजौरा	26–32
7. गणतंत्रः दक्षिण एशियाई क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन	– प्रीति यादव	33–37

सम्पादकीय

विकासशील राज्य शोध केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी मासिक पत्रिका संश्लेषण के वर्ष 2021 के प्रथम तथा 2018 से अनवरत 30वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। संश्लेषण के रूप में यह केंद्र से संबद्ध समस्त, अध्येताओं, शोधार्थियों, व विद्यार्थियों का सामूहिक प्रयास है। हिंदी भाषा के शोधार्थियों व विद्यार्थियों को लेखन का मंच उपलब्ध कराने में संश्लेषण की महती भूमिका है, जिसके माध्यम से प्रत्येक माह के समसामयिक विषयों को पत्रिका के माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है।

जनवरी माह भारत में विश्व के सबसे वृहत लिखित संविधान के क्रियान्वित होने तथा उसके गणतंत्र बनने की कहानी कहता है। भारत एक ऐसी व्यवस्था का साक्षी बनाता है जिसमें गण अर्थात जनता को अधिकारों के माध्यम से तंत्र अर्थात शासन–प्रशासन पर एक नियंत्रण बनाए रखने का अवसर दिया गया है। जिसके कारण तंत्र अपने प्रत्येक कार्य के लिए गण के प्रति उत्तरदायी है। विश्व के इस सबसे बड़े गणतंत्र में नागरिकों ने अधिकारों की प्राप्ति को विभिन्न माध्यमों से सक्रियता के साथ अभिव्यक्त किया है। परंतु 2021 के गणतंत्र दिवस पर वही नागरिक इस तथ्य को संभवतः विस्मृत कर गए कि जिस संविधान की दुहाई देते हुए वे अपने अधिकारों की मांग व उनको अभिव्यक्त करते हैं, वही संविधान अधिकारों से कुछ आगे बढ़कर उन्हीं नागरिकों से कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा भी करता है।

26 जनवरी 2021 को आंदोलन के अधिकार की आड़ लेते हुए जिस प्रकार से भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक लाल किले की प्राचीर पर सुशोभित राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, उसने इस गणतंत्र में अधिकारों की प्राप्ति तथा उनकी मर्यादित अभिव्यक्ति के विमर्श को ज्वलंत कर दिया है। क्या संवैधानिक/मौलिक अधिकारों का प्रयोग उचित प्रतिबंधों के साथ नहीं होना चाहिए?, क्या अधिकारों की अभिव्यक्ति निरंकुश हो सकती है?, क्या सामूहिक अस्मिता एवं हित राष्ट्रीय अस्मिता व हित से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं?, क्या अधिकारों के प्रयोग को कर्तव्यों द्वारा नियमित नहीं होना चाहिए? ऐसे ही कुछ प्रश्न भारतीय जनमानस के मन में उठे हैं।

इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा लिए संश्लेषण का यह अंक 'गणतंत्रः अधिकार एवं अभिव्यक्ति' पर केंद्रित हैं। इस विषय से संबंधित विविध पक्षों पर प्राप्त विभिन्न आलेखों में से कुछ उत्कृष्ट

लेखों का चयन संपादक मण्डल द्वारा किया गया है। समस्त चयनित लेख भारत के गणतंत्र, उसमें नागरिकों को प्राप्त अधिकारों व उनकी अभिव्यक्ति तथा नागरिकों से अपेक्षित कर्तव्यों के साथ–साथ राज्य, शासन–प्रशासन के अधिकारों व दायित्वों को केंद्रित करके लिखे गए हैं। ये सभी लेख समसामयिक महत्व के होने के साथ–साथ अपनी प्रकृति में मौलिक भी है। इनमें दिए गए विचार इनके लेखकों के स्वतंत्र चिंतन, अध्ययन, विश्लेषण व सृजन का परिणाम हैं।

जनवरी 2021 के संश्लेषण के अंक पर पाठकों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही फरवरी माह के लिए उचित विषय का चयन किया जाएगा। तथा पत्रिका की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर उत्कृष्टता लाने का प्रयास भी किया जाएगा।

संपादक मंडल

रविवार, 14 फरवरी 2021

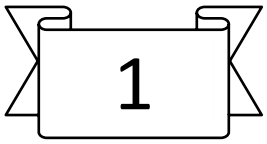

गणतंत्र की अवधारणाः भारत–बोध एवं भावना

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविधयालय

गणतंत्र की अवधारणा भारतीय समाज की प्राचीन राजनीतिक परंपराओं के परिणामस्वरूप वैचारिक उत्कर्ष का ही परिणाम थी। गणतंत्र में गण समाज है व तंत्र उसकी नियामक चेतना है। आज भले ही हम 68 वां गणतंत्र दिवस मन रहे हो, एक समाज के रूप में यह शब्द हजारों वर्षों से हमारी राजनैतिक व सांस्कृतिक चेतना का भाग रहा है।

हमारे लोकतांत्रिक सामाजिक विमश में इन दिनों भारतीयता और उसकी अस्मिता को लेकर अत्यधिक विचार–विमर्श हो रहा है। वर्तमान समय को "भारतीय अस्मिता" के जागरण का समय भी कहा जा रहा है। प्रायरू वास्तविकता में यह भारतीयता के पुर्नजागरण का भी समय है, कहा जाता है कि गणतंत्र 100 वर्षों में संपन्न व सिद्ध होता है, क्या अपने स्व के प्रति आज भी हमारे अंतर्गत वह जागृति है, जिस तथ्य का विचार–विमर्श हमारे राष्ट्र–नायक स्वतंत्रता के आंदोलन में कर रहे थे। इतने अधिक वर्षों की उपनिवेशवादी छाया ने हमें जिस प्रकार व जितना अधिक जकड़ा है उससे प्रथक होकर अपने कथ्य का कहना कठिन कल भी था और आज भी है। आज, जबकि हम एक बार पुनरू गणतंत्र दिवस मना रहे है, तब यह विचारणा आवश्यक है कि हम कौन थे और हमें क्या होना है।

हमारे बौद्धिक विचार–विमर्श में सबसे अधिक नकारात्मक शब्द है– "राष्ट्रवाद"। इसलिए राष्ट्रवाद के स्थान पर राष्ट, राष्ट्रीयता, भारऔर राष्ट्र–तत्व जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना उचित है। चूंकि "राष्ट्रवाद" की पश्चिमी अस्मिता और उसे व्याख्यायित तथा विश्लेषित करने के पश्चिमी मानकों व मापदंडों ने इस शब्द को अधिक प्रवाद व समीक्षा का विषय बना दिया है। इसलिए राष्ट्रवाद शब्द का छोड़कर ही हम भारतीयता के वैचारिक अधिष्ठान की सही व स्पष्ट व्याख्या कर सकते है, अतरू य्ह एक ऐसी भावना तथा चेतना है, जो राजनीतिक, ऐतिहसिक, धर्मिक, भाषायी, जातीय, संस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों व परितत्वो पर अधरित रहता है. भारतीय समाज को कलंकित करने के लिए सबसे अधिक दोष वर्ण–व्यवस्था का माना जाता है, जबकि वर्ण–व्यवस्था एक वृति थी। स्वभाव मन तथा इच्छा के अनुसार व्यक्ति उसमें स्थापित होता था।

व्यावसायिक वृति का व्यक्ति वहाँ क्षत्रिय बने रहने को विवश नहीं था, न ही किसी को अंतिम वर्ण में रहने की विवशता थी। परंतु एक समय तक ये हमारे व्यवसाय से संबंधित थी। हमारे परिवार से हमें जातिगत संस्कार प्राप्त होते थे, जिनसे हम विशेषज्ञता प्राप्त कर "नौकरी की प्रत्याभूति" पाते थे। बढ़ई, लुहार, सोनार, केवट, माली जातियाँ ही नहीं थी, अपितु इनसे व्यावसायिक योग्यता व दक्षता भी जुड़ी हुई थी। ग्रामों में अर्थव्यवस्था इनके आधार पर चलती थी। कौशल–पूर्ण व हुनरमंद जातियाँ आज रोजगार कार्यालय में पंजीयन कर रही है। जाति व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था, दोनों ही अपने मूल स्वरूप में अब काल बाह्य हो चुकी है। ऐसे में जाति के गुण के स्थान पर, जाति की अस्मिता विशेष हो गई है। प्रत्येक जाति का अपना इतिहास व गौरव है। ऐसे में जाति भी उचित ही है। जाति की अस्मिता भी समुचित है, परंतु जाति–भेद उपयुक्त नहीं है। ऐसा पक्षपात व भेदभाव हमारी संस्कृति का भाग नहीं है। यह जातिगत भेदभाव व पक्षपात मानवीय भी नहीं, तथा सभ्य समाज के लिए जाति–भेद कलंक है।

सन् 1947 में बने राष्ट्र से पूर्व क्या हमारा भारत–राष्ट्र एक राष्ट्र नहीं था? क्या इससे पूर्व भारत नहीं था, ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे सामने है। क्या गणतंत्र एवं लोकतंत्र के विचार हमें सन् 1950 में ही प्राप्त हुए या इसकी आधारिक जड़ें हमारे मूल में थी? देखते है तो प्रदर्शित होता है कि हमारा राष्ट्र राजनीतिक नहीं, अपितु सांस्कृतिक अवधारणा से बना है। सत्य, अहिंसा, परोपकार, ज्ञान, विश्वास, मूल्य तथा क्षमा जैसे गुणों के साथ यह राष्ट्र रत रहा है, इसलिए यह भारत है। इस भारत को पहचानने में महात्मा गांधी, डॉ राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण हमारी सहायता कर सकते है। डॉ राम विलास शर्मा की पुस्तक "भारतीय संस्कृति और हिन्दी प्रदेश" हमारा दृष्टि–दोष दूर करती है। आर्य शब्द का अर्थ ही श्रेष्ठ है और राष्ट्र का अर्थ है समाज व लोग। प्रायरू इस दौर को तारिक फतेह कहते है "में हिन्दू हूँ, मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ है"। अर्थात भारतीयता या भारत राष्ट्र का पर्याय हिन्दुत्व व हिन्दू राष्ट्र भी है क्योंकि यह भौगोलिक संज्ञा है न कि पंथिक संज्ञा है।

"भारतीयता" भाववाचक शब्द है. यह प्रत्येक उस व्यक्ति का आधार है जो इसे अपनी मातृ–भूमि व पुण्य–भूमि मानता है, जो इसके इतिहास से इसका संबंध जोड़ता है, जो इसके सुख व दुख तथा आशा व निराशा को अपने साथ सम्मिलित व संयोजित करता है, जो इसकी विजय में प्रसन्न तथा पराजय में दुखी होता है। समान संवेदना व समान अनुभूति से जुडने वाला प्रत्येक भारतवासी स्वयं को भारतीय कहने का अधिकार स्वतरू प्राप्त कर लेता है। विविधता में एकता इस देश की प्रकृति व प्रवृति है। यहीं प्रकृति इसकी विशेषता व विशिष्टता भी है। भारत में एक

साथ नया व पुराना दोनों का सम्मिश्रण है। विविध सभ्यताओं के साथ संवाद, समभाव एवं सर्वभाव इसकी मूल–वृति है। समय के साथ–साथ प्रत्येक समाज में कुछ विकृतियाँ आती रहती है। भारतीय समाज भी उन विकृतियों से मुफ्त नहीं है, अपितु प्रायरू ये संकट व समस्याएं भारत की दीर्घ अवधि की दासता से उत्पन्न हुए है। स्त्रियों व दलितों के साथ हमारा आचरण भारतीय व्यवहार व भारतीय स्वभाव व उसके दर्शन के अनुकूल नहीं है, अपितु दासता के काल–खंड में समाज में आई विकृतियों को त्यागकर आगे बढ़ना हमारा उत्तरदायित्व है और हम आगे बढ़े भी है।

भारतीय समाज का सम्पूर्ण जीव–सृष्टि का विचार करने वाला दर्शन है। यहाँ हर्ष व आनंद ही हमारा मूल है। परिवार की उत्पादकीय संपत्ति ही पूंजी है। चाणक्य कहते है, "मनुष्यानां वृति अर्थ"। इसलिए भारत दर्शन योग–क्षेम की बात करता है। योग का अर्थ है–"अप्राप्ति की प्राप्ति" तथा क्षेम का अर्थ है–"प्राप्त का रक्षण व संरक्षण"। इसलिए चाणक्य के अनुसार, "सुखस्य मूलं धमर्रूध्धर्मस्य मूलं अथर्रूध्अर्थस्य मूलं राज्यं"। प्रसिद्ध विचारक ग्रामसी के अनुसार, "गुलामी आर्थिक नहीं, अपितु सांस्कृतिक होती है"। इसी संदर्भ में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त कहते है, "हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर, यह समस्याएं सभी"। परंतु दुखद यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात भी हमारा बौद्धिक व राजनीतिक वर्ग समाज में वह चेतना नहीं जागृत कर सका। भारतीय ज्ञान परंपरा को अंग्रेजों ने तुच्छ बताकर अस्वीकृत कर दिया, जिससे कि वे भारतीयों की चेतना को समाप्त कर सके तथा उन्हें गुलाम बनाए रखे। स्वामी दयानन्द सरस्वती, महर्षि अरविन्द घोष, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी व अंबेडकर द्वारा दी गई दृष्टि से भारत को समझने के स्थान पर हम विदेशी विचारकों द्वारा आरोपित दृष्टियों से भारत को देख रहे है।

भारत के समक्ष अपनी एकता को बचाने का एक ही मंत्र है, सर्वप्रथम भारत। भारत का भला व बुरा भारत के लोग ही करेंगे। अपने संकटों व समस्याओं का समाधान तलाशना तथा विश्व मानवता को सुख के सूत्र में बाँधना की जिम्मेदारी हमारी ही है। विश्व श्रष्ठतम का चयन करना हमारा ही दायित्व है। भारत का एक–सूत्रीय व समावेशीय स्वरूप ही उसकी पूंजी है, जो सुख व आनंद का सृजन करने वाली है। इस गणतंत्र दिवस पर भारत से परिचय कराने का संकल्प हम ले, तो वह भारत मां के माथे पर सौभाग्य का टीका सिद्ध होगा।

♦♦♦♦♦

संदर्भ सूची

डॉ रहीस सिंह. "वॉकल फॉर लोकल को साकार करता ओडीओपी" राष्ट्रीय सहारा, 15 दिसंबर 2020, नई दिल्ली, प–06।

रामविलास शर्मा (1999). भारतीय संस्कृति और हिन्दी–प्रदेश, किताबघर प्रकाशन, दिल्ली

टी जे जैक्सन लेयर्स (1985). "द कान्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजेमनीरू प्रॉब्लेम्स एण्ड पोसीबीलिटीस" द अमेरिकन हिस्टॉरिकल रिव्यू, वॉल. 90, न. 03. प प. 567–593.

http://www-patrika-com/opinion/maithili&sharan&gupt&literature&3208988/

https://www-bc-com/hindi/india&39052852

http://hindi-speakingtree-in/blog/content&251697

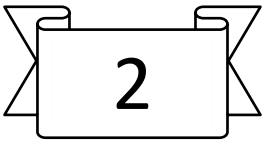

भारतीय गणतंत्रः शक्ति, दुर्बलता, अवसर एवं समस्याओं का विश्लेषण

डॉ. अमित अग्रवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य), राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश

ब्रिटिश आनुवांशिक नृपराज्य को सामान्य इच्छा अथवा राष्ट्रमण्डल नाम से संबोधित किया जाता था। ब्रिटिश नागरिकों ने अपने 18वीं सदी में अधिकारों की रक्षा के लिये राजा (चार्ल्स प्रथम) की हत्या कर दी जिसके उपरांत राष्ट्रमण्डल अथवा रिपब्लिक (गणतंत्र) की स्थापना हुई। 19वीं सदी के मध्य से कोई भी देश क्रांतियों से अप्रभावित न रहा। क्रांतियों का इस युग ने राजतंत्रों को समाप्त करके गणतंत्रों की स्थापना करने का संपूर्ण प्रयास किया। इसी के चलते भारत भी आज गणराज्य की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिये कटिबद्ध है। सदियों की गुलामी को तोड़कर भारत अपने लिए एक लोकतंत्रीय संवैधानिक व्यवस्था का सृजन कर चुका है। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है जिसकी विविधता बहुरंगी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में भारतीय गणतंत्र राष्ट्र के बीज बोए गए थे, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहर लाल नेहरु ने की। बैठक में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस और पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने की शपथ ली। यह निर्णय लिया गया कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा।

ब्रिटिश सरकार ने भावी भारत के संविधान के लिए कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत संविधान सभा के गठन की मंजूरी दी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा की अध्यक्षता में हुई जिसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। पंडित जवाहर लाल नेहरु ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और नेहरु जी ने स्पष्ट किया कि भारत एक पूर्णतया स्वतंत्र एवं प्रभुतासंपन्न गणराज्य होगा। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 24 जनवरी 1950 को डा. राजेंद्र प्रसाद भारत संघ के प्रथम राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। इरविन स्टेडियम में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वजारोहण था। हमारा संविधान देश के नागरिकों को

लोकतांत्रिक माध्यम से अपनी सरकार के चुनाव का अधिकार देता है। 26 जनवरी 1950 में भारत के रूप में एक नए गणराज्य के गठन हुआ एवं भारत का संविधान लागू हुआ। संसद सर्वोच्च है और स्वतंत्रता के उपरांत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा था कि हमारा उद्देश्य भारत को एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और गणतंत्री देश बनाना है जिसमें प्रत्येक नागरिक को विकास और सेवा के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। भारत को विश्व का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक राष्ट्र कहा जाता है। भारत प्रथम रूप में एक गणतांत्रिक राष्ट्र होने के उपरांत प्रजातान्त्रिक राष्ट्र घोषित है जिसका अर्थ है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन।

71 वर्षों में भारत ने विश्व समुदाय के बीच एक आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वाभिमानी देश के रूप में अपने स्थान को निर्मित किया है। भारत कृषि आत्मनिर्भर देश होने के कारण अब विश्व के सबसे औद्योगीकृत 20 देशों की श्रेणी में भी इसको स्थान प्रदान किया गया ह और भारत दुनिया में एकमात्र राष्ट्र हैं जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त होने के प्रथम दिन से ही मतदान का अधिकार प्रदान किया है। विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है। भारत की आर्थिक प्रगति और विकास दर भी अन्य विकासशील दशों के लिए प्रेरक तत्व हैं। 560 छोटे रियासतों का भारत संघ में (विलय) हुआ। किसी भी एक देश में बोली जाने वाली भाषाओं की सबसे अधिक संख्या भारत में है। भारत में करीब 29 भाषाएं और करीब 1,650 बोलियां पूरे भारत में बोली जाती हैं। जातीय समूहो की सबसे अधिक संख्या भारत में है। पंचायती राज के कारण विश्व में सर्वाधिक निर्वाचित महिलाओं व व्यक्तियों (1 लाख) की संख्या भारत में है। भारत की मिड डे मील योजना विश्व का सबसे बड़ा भोजन कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कार्यक्रम है।

एक रणनीतिक योजना तकनीक स्वॉट विश्लेषण या स्वॉट(SWOT- Strength, Weakness, Opportunities, Threats)मैट्रिक्स जिसका उपयोग किसी संगठन या व्यक्ति को परियोजना नियोजन या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से संबंधित शक्तियों (Strength), कमजोरियों (Weakness), अवसरों (Opportunities) और संकट (Threats) की पहचान करने में सहायता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य आंतरिक और बाह्य कारकों की पहचान करना है। शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के चार मापदंडों के लिए एक संक्षिप्त स्वॉट शब्द है। स्वॉट तकनीक जो विश्लेषण करता हैः—

शक्तियाँ / ताकतः भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएँ जिनकी अपनी विशेषताएँ हैं। वह जनता के हित के लिए कार्य करती हैं और लोक कल्याण द्वारा देश के विकास पर बल देती है।

कमजोरीः भारतीय लोकतंत्र की संस्थाओं में वे कार्य जिनसे लोकतांत्रिक व्यवस्था या जनहित को सापेक्षिक रूप से हानि होती है।

अवसरः गणतांत्रिक पर्यावरण में ऐसे तत्व होते हैं जो लोकतंत्र के लिए अवसर उत्पन्न करते हैं। इन अवसरों का दोहन कर लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। गणतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ता है।

संकटः लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं अर्थात लोकतांत्रिक पर्यावरण में परिवर्तन गणतंत्र के लिए संकट उत्पन्न करते हैं।

भारतीय गणतंत्र का स्वॉट विश्लेषण

भारतीय गणतंत्र की शक्तियाँ (Strength)	गणतंत्र के लिए अवसर (Opportunities)
• द्विसदनीय व्यवस्था (लोकसभा व राज्यसभा केंद्र सरकार में और विधानसभा व विधान परिषद राज्य में) • हर वयस्क नागरिक को मतदान अधिकार • निष्पक्ष तथा निश्चित समय अर्थात 5 वर्ष के उपरांत चुनाव • अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में परिवर्तन की शक्ति • वार्षिक बजट व्यवस्था • स्वतंत्र न्यायपालिका • लिखित संविधान • संसद और संविधान को सर्वोच्च शक्ति • बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है • त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था • लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य • राष्ट्रपति सेना का प्रमुख • राष्ट्रपति संसद का एक अंग	• नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार • गरीबी में कमी • साक्षरता दर में वृद्धि • उच्च शिक्षित जनप्रतिनिधियों की प्रतिशत में वृद्धि • महिला जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि में वृद्धि • अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार • अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते व संस्थाएं • युवा जनसंख्या का लाभांश • समाजवाद और लोक कल्याण राज्य की संकल्पना साकार करने हेतु • नागरिक अधिकारों से जनतंत्र की स्थापना न्यायिक पुनरावलोकन • मानव संसाधन विकास द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण • भारत को विश्व गुरू बनाना • आत्मनिर्भर भारत बनाना
भारतीय गणतंत्र की कमजोरियाँ (Weakness)	भारतीय गणतंत्र के लिए खतरे (Threats)
• जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि की आवश्यकता ना होना • बहुमत न होने पर निर्णय लेने में विलंब	• सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव • व्यापक गरीबी, उच्च स्तर पर बेरोजगारी

• क्षेत्रीय दलों व दबाव समूह का उदय • उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी/जबाबदेयता का अभाव • भ्रष्ट आचरण या अयोग्य जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार नहीं • जतिवाद, क्षेत्रवाद, धर्म आदि के आधार पर चुनाव • राज्य के मध्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध • सत्ता के लिए अनुचित कार्य • योग्य निष्ठावान एवं निष्पक्ष जनप्रतिनिधियों की कमी • सत्ता और विपक्षी दलों मं गंदी राजनीति • अधिकार एवं कर्तव्य में असंतुलन	• सार्वजनिक संस्थानों का क्षरण • अपराधों की संख्या में वृद्धि • नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे आदि चुनौतियाँ • राजनीतिक दलों में निचले स्तर की राजनीति से आर्थिक विकास अवरुद्ध होना • भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों में वृद्धि • चुनाव में धन बल का हस्तक्षेप • पेड मीडिया/मीडिया का भेदभाव • सत्तारूढ़ दल पर पूर्ण बहुमत न होने की दशा में तानाशाही के आरोप आदि • अन्तर्राष्ट्रोय हस्तक्षेप/हवाला कारोबार • जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का अवलोकन करने के उपरांत भारतीय लोकतंत्र का स्वॉट विश्लेषण किया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र के आंतरिक तत्वों में लोकतंत्र की शक्तियां और लोकतंत्र की कमजोरियों का विश्लेषण किया। जबकि भारतीय लोकतंत्र के बाह्य तत्वों में भारतीय लोकतंत्र के लिए अवसर और भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां का विश्लेषण किया गया है। भारतीय लोकतंत्र की अपनी कुछ खूबियाँ हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत को एक गणतांत्रिक देश बनाया। कोई भी राष्ट्र सशक्त जब बन सकता है जब उस देश के नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों को उसकी योग्यता के आधार पर चुनते हो। गणतंत्र की धुरी गण (Puplic) है।

देश में परिवर्तन की पवन तो बह रही है। सूचना प्रवाह के इस युग में हम समूचे विश्व से जुड़ चुके हैं। भारत देश में हर जगह, हर वर्ग एवं स्तर पर परिवर्तन की अनुभूति कर रहा है। परंतु इस परिवर्तन की पवन के बीच यह मुख्य प्रश्न उठाए जाने की आवश्यकता है कि हम जिस सम्प्रभु, समाजवादी जनवादी (लोकतांत्रिक) गणराज्य में जी रहे हैं वह सही दिशा में अग्रसर है। आम जनता में विमर्श सुनने को मिल जाते है कि गणतंत्र व्यवस्था से सामान्य जनता को क्या लाभ प्राप्त हुआ? कुछ नागरिक निराशा में कहने लगते हैं इस गणतंत्र से अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था। जब जनता में कानून का डर था, अपराध भी कम होते थे इत्यादि। परन्तु यह कहना क्या ये नासमझी का परिचायक है। यह बात सत्य है कि जिन भारतीयों को सत्ता सौंपी वे जनता की आकाँक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। देश की 90 से 95 प्रतिशत जनसंख्या ने स्वतंत्रता के पश्चात् जन्म लिया है, अंग्रेजों के शासन को उत्तम रूप से समझने वालो को परतंत्र होकर रहने का

अनुभव नही है। लोकतंत्र की कद्र उसको अधिक पता होती है जिसे यह प्राप्त नहीं है, जैसे पाकिस्तान, जहाँ स्वतंत्रता मिलने के पश्चात प्रारंभ तो लोकतंत्र से हुआ था परन्तु बाद में मिलिट्री की तानाशाही से गुजरना पड़ा। जनतंत्र या लोकतंत्र में जनता का जागरूक होना आवश्यक है, ताकि वह अपनी शक्ति को पहचाने और चुनाव के समय सतर्कता से काम करे। जनता की या देश की परवाह नहीं की और देश में अराजकता का सा वातावरण बन गया है हर तरफ भ्रष्टाचार, अनाचार, हिंसा, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों का बोलबाला हो रहा है। देश की जनता की कमी है कि हमने सही व्यक्ति चुनने में समझदारी नहीं दिखाई। जब हम वोट डालने जाते हैं तब जातिवाद में फंस जाते हैं, या फिर अपने तुच्छ स्वार्थ के वशीभूत होकर देश हित को नजर अंदाज कर देते है, अयोग्य उम्मीदवार को चुनते हैं। संयुक्त परिवारों को तोड़कर हम सामाजिक अनुशासन से निरंतर उच्छृंखलता/उद्दंडता की ओर जा रहे हैं। इन 71 वर्षों में हमने सामान्य लोकतंत्रीय आचरण भी नहीं सीखा है। समाज में ग्रामों से नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति पनप रही है।

निष्कर्ष: साम्राज्यों और सम्राटों के चिन्ह समाप्त हो चुके हैं तथा निरकुंश और असीमित राज्यव्यवस्थाएँ समाप्त हो चुकी हैं, किन्तु स्वतंत्रता की वह मूल भावना मानवहृदय से नहीं दूर की जा सकती जो गणराज्य परंपरा की कुँजी है। भारतीय गणतंत्र का स्वॉट विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि अन्य देशों की तरह भारतीय लोकतंत्र की कुछ ताकत/शक्तियाँ, कमजोरियाँ, अवसर और संकट हैं। लोकतंत्र या गणतंत्र की वास्तविक अवधारणा तब ही साकार हो सकती है, जब भारत के जनप्रतिनिधि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्रीय हित में कार्य करें। लोकतंत्र में मिलो शक्तियाँ जब लोकतंत्र के लिए उत्पन्न खतरों को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होंगी, तब लोकतंत्र की कमजोरियाँ खुद दूर हो जाएगी और लोकतंत्र के लिए नए–नए अवसर के द्वार खुल जायेगे। लोकतंत्र या गणतंत्र का वास्तविक सपना तभी साकार हो जायेगा जब वहाँ की जनता में खुशहालो हो और वह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। वहाँ के नागरिक अपनी नागरिकता पर गर्व कर सके। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और आधुनिकीरण के युग में लोकतंत्र की विश्व में पहचान बनाने के लिए भारत को अपनी शक्ति पर पकड़ बनानी होगी।

♦♦♦♦♦

संदर्भ सूची

1.बख्शी पी.एम. (1999) भारत का संविधान चयनात्मक टिप्पणियों के साथ, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड

2. आई.पी., वाई.के. और कू, एल.सी. (2004) BSQ strategic formulation framework: A hybrid of balanced scorecard, SWOT analysis and quality function deployment. Managerial Auditing Journal, 19 (4), 533–543.

3.कश्यप सुभाष. (2008) हमारी संसद, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत, नई दिल्ली।

4.मैकगी, जे., थॉमस, एच. और विल्सन, डी.(2010) Strategy: Analysis and Practice, McGraw-Hill, Maidenhead, UK.

5.पियरसी एन, जाइल्स डब्ल्यू. (1989) Piercy N, Giles W.(1989) Making SWOT analysis work. J Mark Intell Plann. 1989;7:5–7. [Google Scholar]

6. प्रधान वी.पी., भारत का संविधान, ओम्बड्समैन प्रकाशन हाउस, नई दिल्ली

7.सैममुट–बोनीकी, टी. और मैक्गी, जे. (2002) Network strategies for the new economy. European Business Journal, 14, 174–185.

8. सिंह महेंद्र पी। (2000) वी. एन. शुक्ल का भारत का संविधान, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ।

9. सिरमोन, डी.जी., हित्त, एम.ए., अर्गल, जे. एल. और कैम्पबेल, जे.टी. (2010) The dynamic interplay of capability strengths and weaknesses: investigating the bases of temporary competitive advantage. Strategic Management Journal, 31 (13), 1386–1409.

10. वेइरिक, एच. और कैननिस, एम.वी.(2010) प्रबंधन, टाटा मैकग्रा–हिल एजुकेशन, भारत।

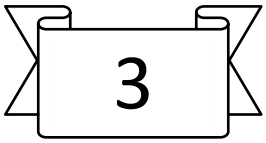

विरोध का अधिकारः एक मौलिक अधिकार?

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश है जहाँ भारत की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से भारत को लोकतांत्रित गणराज्य बनाने के साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढाने का संकल्प लेते हुए दर्शित किया गया है। परंतु हाल ही में ये जो होने वाले मतभेद, धरना प्रदर्शन, आंदोलन चल रहे है क्या यह भारत की प्रस्तावना को पूर्ण करते प्रदर्शित होते है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ये कोई नये विचार नहीं हैं, और इन सबको भारतीय संस्कृति, परंपरा का भाग माना जाने लगा है। क्योंकि भारत की नींव या मूल ही धरना प्रदर्शन, आंदोलन जैसे तत्व रहे है जिसे हम स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उपरांत देख सकते है।

परंतु इसका उदय स्वतंत्रता के पूर्व से ही देखने को मिलता है– जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन इत्यादि आदोंलनो के बिना भारत को स्वतंत्र भारत के रूप में देख पाना संभव था? नहीं। बीते वर्ष दिसम्बर की बात करे तो सी.ए.ए अर्थात सीटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के विरूद्ध हजारों, लाखों लोगो द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, और इस वर्ष दिसम्बर से कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन, धरना प्रदर्शन चल रहे है वो दिल्ली में अपनी गति को वृद्धि देते जा रहे है। पर ये जो धरना प्रदर्शन करने वाले या आंदोलन करने वाले होते है इन्हें क्या किसी कानूनी सहमति या अनुमति की आवश्यकता होती है? क्या इन्ह कानूनी कार्यवाही या पुलिस जैसी कार्यवाही का भय नहीं होता? अगर हां तो किस प्रकार की और क्या सुरक्षा प्रदान की जा सकती है? और जिस भी प्रकार के संघर्ष, आंदोलन, प्रदर्शन चल रहे है वह भारत के लोकतंत्र के लिए समस्याओं के रूप में या खतरा है? क्या सरकार संघर्ष, आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों की बातों को महत्व देती है?

किसी भी लोकतंत्र में वहाँ के लोग वहाँ की जनता मुख्य भूमिका निभाती है, और भारत में यह कुछ अधिक पुरानी नहीं अपितु कुछ 70 वर्ष पूर्व की बात है जब ब्रिटिशों का भारत पर शासन

था। भारतीय नागरिकों के पास कोई अधिकार ही नहीं थे और यही कारण था कि उन्हें स्वतंत्रता के बाद मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ताकि नागरिक अपनी मांगे, अपनी आवाज को उठा सके। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए संघर्ष, आंदोलन, धरना प्रदर्शन के अधिकार महत्वपूर्ण क्यों होते है? जिसका कारण यह देखने को मिलता कि सरकार समय–समय पर नई नीतियाँ लाती रहती है जिन्हे जनता द्वारा जाँचा जाता है, विश्लेषण किया जाता है और इसके बाद इनमें कमियाँ निकाली जाती है, और इन कमियों को ढूँढने का एक माध्यम होता है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से किए गए संघर्ष, आंदोलन, धरना प्रदर्शन ही वैध माने जाते है, अर्थात किसी संघर्ष, आंदोलन, धरना प्रदर्शन का उद्धेश्य यदि कानून का उल्लघंन करना हुआ जैसे लोगो के कार्यशैली, जीवनशैली इत्यादि को प्रभावित करना, या समस्या उत्पन्न करना उनका उद्धेश्य है तो उस प्रकार के किए गए प्रदर्शन वैध नहीं माने जाएंगे।

स्वतंत्रता के बाद भी भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध आंदोलन और प्रदर्शन हुए उदाहरणस्वरूप स्वतंत्रता के तुरंत बाद होने वाले आंदोलन मे 1952 में हुआ आंध्रा आंदोलन जो कि तेलूगु भाषी लोगो के लिए नए राज्य की माँग की गई पोट्टी श्रीरामलु द्वारा जिसके परिणामस्वरूप आंध्रप्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। 2011 में अन्ना हजारे द्वारा किया गया प्रसिद्ध आंदोलन जो की भ्रष्टाचार विरोधी था वही 2012 क सामूहिक बलात्कार के बाद महिला सुरक्षा के लिए निर्भया आंदोलन किया गया। इसी प्रकार हर लोकतांत्रिक समाज में नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाते है कि जनता अपनी आवाज को उठा सके। जिससे सरकार के सामने उनकी माँगों को रखा जा सके बताया जा सके और इसी के चलते उन्हे दिया जाता है विरोध प्रदर्शन का अधिकार। पर भारतीय नागरिको को जो अधिकार प्रदान किए है उनमें कहीं पर भी विरोध प्रदर्शन शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद अनुच्छेद 19 नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को अधिक कठोरता से सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें तीन अनुच्छेदों को मुख्य रूप से देखा जाता है–

- अनुच्छेद 19–1ए– भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 19–1ब– बिना हथियार के शांतिपूर्ण माध्यम से प्रदर्शन करना।
- अनुच्छेद 19–1स– संघ और व्यापार संघ बनाने का अधिकार।

तो यह तीनो अनुच्छेद साथ में भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण माध्यम से प्रदर्शन करने की अधिकार प्रदान करते है। तो किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण भाषण और प्रदर्शन करने की

स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षा, प्रोत्साहित और सम्मान प्रदान किया जाता है। पर ये जो अधिकार है ये पूर्ण प्रकृति के नहीं है अर्थात् लोगो के पास पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है कि वो जो चाहे वह कर सकते है और अनुच्छेद 19 में ही वह प्रतिबंध दिए गए है जो प्रदर्शन करने वाले पर लगाई जा सकती है। जैसे की अगर कोई प्रदर्शन करने वाला भारत की अखण्डता, एकता, सुरक्षा, और अन्य राज्यों से संबंधो को खराब करने से संबंधित हो तो इन कुछ मुख्य कारणों से होने वाले प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस माध्यम से यह समझा जा साकता है कि भारतीयों के पास प्रदर्शन करने का अधिकार तो है पर वहीं प्रशासन, सत्ता के पास इन होने वाले प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। और पिछले कुछ वर्षो में होने वाले आंदोलनो में यह देखने को मिला है कि प्रदर्शन करने वाले को सत्ताधारियों के हाथों बल झेलना पड़ता है जैसे– पुलिस निर्दयता, अत्यधिक बल का प्रयोग होना या फिर कुछ ऐसे कठोर कानून जैसे– गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, देशद्रोह कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इत्यादि कानूनों के माध्यम से मनमाने ढ़ग से हिरासत में लिया और प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इन्हीं सब के चलते पिछले कुछ वर्षो में 1000–5000 लोगों को हिरासत में लिया गया और 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। और इन सभी गतिविधियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानक में भारत का स्थान अत्यधिक निचले स्तर पर आ गया है जिसे 2020 में 131 वे स्थान पर देखा जा सकता है।

इसी प्रकार कुछ अन्य मुक्ष्य निर्णय भी इसी प्रकार की गतिविधियों में दिए गए जो यह स्पष्ट करता है कि एक भारतीय प्रदर्शन के अधिकार को किस सीमा तक प्रयोग कर सकता है और यह भी बताया गया कि सत्ता किस सीमा तक प्रतिबंधो का प्रयोग कर सकती है। इस विषय सर्वप्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरूद्ध शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर विचार करेंगे। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अमित साहनी बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस के विषय में यह कहा था कि प्रदर्शन करने वालों के पास यह अधिकार नहीं है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान को अनिश्चित काल के लिए अधिकृत अर्थात कब्जा नहीं किया जा सकता।

इस प्रदर्शन में जिन सड़कों को जाम किया गया था उसके कारण सामान्य जनता को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रशासन के पास यह अधिकार है कि वह स्थानों को खुलवाएं और समस्या उत्पन्न करने वालों पर प्रतिबंध लगाए। इस केस में सवोच्च न्यायालय ने 2018 के केस ''मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया'' में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जिसमें दिल्ली के जंतर–मंतर में प्रदर्शन चल रहे थे और इस कारण

सामान्य जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था तो शाहिन बाग और जन्तर मनतर दोनो ही केस में सर्वोच्च न्यायालय न स्थायी निवासी के आवागमन के अधिकार और प्रदर्शन करने वालों के धरना प्रदर्शन करने के अधिकार को संतुलित करते हुए पुलिस को यह दिशा प्रदान की गई कि वह उचित तंत्र का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण माध्यम से प्रदर्शन करने के लिए एक सीमित क्षेत्र दे सकती है और इसी के लिए आगे के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश बनाने का आदेश दिया गया। तो यह कहा जा सकता है कि एक स्थान पर अनुच्छेद 19 यह अधिकार प्रदान करता है कि नागरिक अपनी आवाज उठा सकते है, माँग रख सकते है, शांतिपूर्ण माध्यम से विरोध कर सकते है। पर इसके साथ ही दूसरे स्थान पर अनुच्छेद 51–ए हर नागरिक के ऊपर यह कर्तव्य लगाता है कि वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे अर्थात शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन ही वैध होते है और अगर किसी भी प्रदर्शन का उद्धेश्य क्षति पहुँचाना है जैसे सड़को पर जाम लगा कर कब्जा करना, बसे और रेलगाड़ियों का रूकवाना इत्यादि वैध नहीं माना जाएगा।

अभो हाल में आए सर्वोच्च न्यायलय के निर्णयों में यही कहा गया है कि नागरिक पर विरोध करने का अधिकार तो है परंतु उसमें जनता को क्षति न पहुंचे पर भी ध्यान देना अनिवार्य होगा।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत जैसे राष्ट्र में लोकतंत्र जितना मजबूत हुआ है उतना ही इसका अब दुरूपयोग देखने को मिल रहा है जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से लिखी गई प्रस्तावना के कमजोर होने के रूप में देखी जा सकती है वहीं इस प्रकार के नकारात्मक रूप से किए जाने वाले आंदोलन जो जन को अधिक प्रभावित करता है उनकी जीवनशैली को चलती पटरी से उतारने का कार्य करता है तो वहीं इस प्रकार के होने वाली गतिविधियों में राजनीति से गंदी राजनीति में परिवर्तन होते देर नहीं लगती और इसका प्रभाव और निशाना केवल मात्र सामान्य जन ही होता है। तो आवश्यकता है प्रस्तावना को का मान करते हुए उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का सही प्रयोग किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय, संविधान की मर्यादा को भी गरिमा के साथ बनाए रखे जाने पर बल देना चाहिए।

♦♦♦♦♦

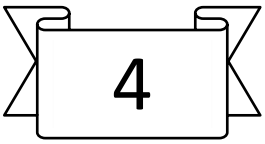

4

भारत में निजता एवं अग्रिम योजना का अधिकार

चंद्रिका आर्या

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत में निजता का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला के माध्यम स विकसित हुआ है। स्वतंत्रता के उपरंत से, मौलिक अधिकार के रूप में गोपनियता के विषय को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई बार प्रस्तुत किया गया है। 24 अगस्त 2017 को भारत के के. एस. पट्टास्वामी वी संघ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार स्पष्ट करते हुए एक लंबी ऐतिहासिक कानूनी विरोध का अंत कर दिया है। विभिन्न राज्य गतिविधियाँ जो गोपनीयता के अधिकार को भंग करने के बारे में भ्रम उत्पन्न करती है। विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान, योजना, आधार, उनमें से एक है जो इस योजना का प्रयाग करने वाले नागरिकों की गोपनियता के लिए कई समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। यह लेख निजता के अधिकार के आलोक में आधार योजना का विश्लेषण करने का प्रयास है।

भारत में निजी सुरक्षा का अधिकार

मूल सविधान में निजता के अधिकार को स्पष्ट रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था। विधानसभा में, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग नेताओं में– सोमनाथ लिहड़ी और काज़ी सैयद करीमुद्दीन ने उठाई थी। करीमुद्दीन ने मुस्लिम समुदायों के अधिकारों को मनमाने अन्वेषणों से सुरक्षित करने के लिए निजता के अधिकार की वकालत की। उनकी दलील थी कि विभाजन के उपरांत की अवधि में मुसलमानों को राज्य निकायों द्वारा अपराधियों के रूप में माना गया था। लेकिन विधानसभा में इस मांग को अधिक गंभीरता से नहीं लिया गया। अंत में, मौलिक अधिकारों के अनुसार निजता के अधिकार को सम्मिलित करने के लिए किए गए सभी प्रयास संविधान निर्माताओं के द्वारा कभी स्वीकार्य नहीं हुए।

स्वतंत्रता के उपरांत की अवधि में, न्यायिक अधिकारों की श्रृंखला के माध्यम से निजता का अधिकार विकसित हुआ। 1950 के दशक से सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के विषय को सविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया है। मौलिक अधिकार के अनुसार

निजता के अधिकार की मान्यता के बारे में प्रथम महत्वपूर्ण विकास खडग सिंह थे। जब उत्तर प्रदेश 1963 में किया गया न्यायमूर्ति सुब्बा राव द्वारा अपनी असहमति व्यक्त की, यह सत्य है कि हमारा संविधान स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं देता है पर मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनिवार्य भाग है। मध्य प्रदेश राज्य, 1975 में संविधान के अनुसार निजता के अधिकार के विकास के इतिहास में एक और ऐतिहासिक विषय था। न्यायमूर्ति मैथ्यू ने स्वीकार किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 19–1 ए, डी और 21 से एक मुक्ति है लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है, इसके भीतर उचित प्रतिबंध है। इस विषय में खडग सिंह का विषय ऐसा विषय था जिसमें न्यायपालिका ने मौलिक अधिकार का एक भाग होने के लिए निजता के अधिकार को मान्यता देते हुए चिह्नित किया। इस समय तक निजता का अधिकार भारतीय संविधान में एक स्थान प्राप्त करने का था।

अंत में, शीर्ष न्यायालय द्वारा 24 अगस्त 2017 के केस में किए गए ऐतिहासिक निर्णय में पट्टास्वामी वी यूनियन ऑफ इंडिया, 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को अनुच्छेद–21 के अनुसार मौलिक अधिकार घोषित किया। न्यायालय ने घोषित किया कि अनुच्छेद–21 के अनुसार निजता का अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आतंरिक भाग है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद–21 की सीमा का विस्तार किया है।

गोपनियता की योजना के आधार

भारतीय बायोमेट्रिक योजना आधार को पहचान क नकली दस्तावेजों की समस्या के समाधान के लिए 2009 में कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। यह औपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिक नागरिकों को प्रस्तुत करने के लिए भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है, कल्याणकारी योजनाओं के लाभों तक अधिक पहुंच प्रदान करता है और देश को भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन से रोकता है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिए, यह निवासियों के बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा को एकत्रित करना चाहता है जिसमें– उंगलियों के चिह्न, चहरे की तस्वीर, दोनों आँखों का स्कैन, नाम, जन्म, तिथि, आवासोय पता। इस प्रकार से एजेंसी एक विशाल बैंक बनाना चाहती है जिसमें व्यक्तिगत सूचना को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है परंतु पूर्ण रूप से होता नहीं।

हालांकि यह परियोजना पहले से ही गोपनियता की चिंताओं के आधार पर प्रश्न में थी और इसकी कोई वैधानिक स्थिति नहीं थी, 2016 में भारतीय संसद ने परियोजना को कानूनी समर्थन

प्रदान करने के लिए आधार अर्थात् वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण इत्यादि को अधिनियम बनाया। यह अधिनियम, यूआईडीएआई अर्थात जारी करने और प्रबंधन करने वाली को रिपॉजिटरी डेटा बनाए रखने के लिए विभिन्न संस्थाओं के नियुक्त करने की शक्ति देता है। यहाँ डेटा एकत्रित करने के लिए निजी संस्थाओं को काम पर रखा जा सकता है जो डेटा गलत हाथों में पहुंचने पर नागरिकों की गोपनियता से समझौता कर सकते है। इसके अतिरिक्त, यह डेटा के उल्लंघन या डेटा के दुरूपयोग के विषय को जन्म दे सकता है।

गोपनीयता के विषयों पर विवाद तब और तीव्र हो गया जब 2017 में संसद ने आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए वित्त अधिनियम पारित किया और आई.टी.आर. दाखिल करने और पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया। इसके अतिरिक्त, 23 मार्च 2017 को मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने का लिए अनिवार्य करने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था। आधार के अनुसार इस प्रकार के अंर्तसंबंधित डेटाबेस से साइबर अपराधियों के लिए व्यक्तियों की निजी सूचना गुप्त रूप से लेना सरल हो जाता है।

इस अधिनियम को के. एस. ने अदालत में चुनौंती दी थी। निजता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर पट्टास्वामी जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिश जो सविधान के अनुच्छेद–21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक भाग है।

आधार अधिनियम

आधार अधिनियम में शामिल गोपनियता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए 26 सितम्बर 2018 को दिया गया आधार निर्णय एक सकारात्मक कदम था। न्यायालय के निर्णय ने आधार की सवैंधानिक वैधता को बनाए रखा और अधिनियम को अधिक नागरिक–अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया। पीठ न घोषणा की कि व्यक्तिगत विषयों से संबंधित सभी विषय निजता के अधिकार का एक अंतर्निहित भाग होने के योग्य नहीं हैं। इस प्रकार, न्यायालय ने आधार योजना को किसी व्यक्ति की निजता पर एक उचित प्रतिबंध के रूप में मान्य किया है।

यह अधिनियम एक माना गया कदम था क्योंकि इसमें कई प्रावधानों को तोड़ दिया गया था जिससे गोपनियता का उल्लंघन हो सकता था। निर्णय का सबसे स्वागत योग्य भाग यह है कि यह धारा 57 असवैंधानिक है जो निजी संस्थाओं को सत्यापन के प्रयोजनों के लिए आधार डेटा

का प्रयोग करने की अनुमति देता है। अब कोई भी कंपनी या निजी संस्था आधार के विवरण के लिए अनुरोध नहीं कर सकती है।

आधार के निर्णय ने विद्यालय प्रवेश, NEET, JEE, UGC जैसी प्रवेश परीक्षा के लिए आधार की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यह अधिनियम की लिए सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न करने वाली विशेषताओं में से एक था क्योंकि आधार विवरण के साथ विद्यालयों और विश्वविद्यालयों सहित कई संस्थानों में डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही दुर्बल सुरक्षा प्रणाली है और वे हैकस के लिए एक सरल लक्ष्य हो सकते हैं।

बैंक खातों, मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। यह प्रावधान कोई व्यापक प्रभाव नहीं डालता क्योंकि आधार–पैन जुड़ना अनिवार्य है और बैंक खातों को जोड़ने के लिए पैन अनिवार्य है।

प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए एकत्र किए गए डेटा को संग्रहीत करने की समयावधि 5 वर्ष से घटाकर 6 माह कर दी गई। संयुक्त सचिवों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यूआईडीएआई ने पहचान और प्रमाणीकरण से संबंधित जानकारी का खुलासा करने की अनुमति देने का प्रावधान भी रद्द कर दिया था। पीठ ने घोषणा की थी, कि इस तरफ की महत्वपूर्ण शक्ति को विवेकपूर्ण माध्यम से सौंपा जाना चाहिए, भले ही राष्ट्रीय सुरक्षा एक उचित अपवाद हो।

आधार के निर्णय से पता चलता है कि न्यायालय ने स्वीकार किया है कि इस योजना के अनुसार गोपनीयता संबंधी चिंताएँ हैं, जिन्हें एक मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता के अधिकार की रक्षा के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है जो कि भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक भाग है। न्यायालय ने यह भी घोषित किया कि आधार के पास डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त गोपनियता और डेटा सुरक्षा तंत्र है। लकिन डेटा चोरी के बढ़ते विषयों और आधार के अनुसार प्रदान किए गए सुरक्षा तंत्र पर फिर से दुरूपयोग होने का प्रश्न है।

क्या आधार और उपस्थित सह–परीक्षा में अधिकार हो सकता है? इस बात से असहमति नहीं जतायी जा सकती है कि आधार एक अच्छी पहल है जो समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण को बढ़ावा दने के लिए लाभार्थियों को आवश्यक अधिकार प्रदान करना चाहती है, लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के निजता के अधिकार को ढीला नहीं कर सकते।

पर्याप्त सुरक्षा तंत्र की कमी, कानून के विभिन्न प्रावधानों में अस्पष्टता, डेटा के दुरूपयोग, डटा चोरो करने के विषयों में जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसी कुछ चिंताओं को नागरिकों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ संबोधित किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, डेटा संरक्षण बिल, डेटा स्थानीयकरण की अवधारणा लंबी अवधि से देश में डेटा सुरक्षा संरचना को मजबूत करने में सहायता कर सकती है। आगे उचित निगरानी तंत्र विशेषज्ञों की सहायता से विकसित किया जा सकता है जो डेटा चोरी के विषयों की पहचान करेगा, विभिन्न स्तरों पर डेटा का दुरूपयोग, प्रवर्तन एजेंसियों का एकीकरण, एक स्वतंत्र समिति का गठन जो उन क्षेत्रों को पहचान सकते है जहां डेटा का दुरूपयोग या चोरी हो सकती है सभी स्तर आधार योजनाओं द्वारा उठाए गए विभिन्न गोपनीय चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

♦♦♦♦♦

संदर्भ सूची

आधार (लक्षित वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का वितरण) अधिनियम, 2016, भारत का राजपत्र, नई दिल्ली, 26 मार्च 2016।

न्यायमूर्ति के. एस. वी. पट्टस्वामी सेवानिवृत्त, भारत संघ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 26 सितंबर 2018।

काजी सैयद करीमुद्दीन, संविधान सभा वाद, वाल्यूम 7, 3.12.1958, द्वारा संशोधन किया गया।

सोमनाथ लाहिड़ी, संविधान सभा वाद, खंड 3, 30.4.1947, सशोंधित।

अरूण, चिन्मयी, ''पेपर–थिन सेफगार्ड्स एंड मास सर्विलांस इन इंडिया'', छात्र एडवोकेटकॉमिट्टी, वाल्यूम–26, 2 नंवबर 2014, पेज. 105–114।

सिंह, शिव शंकर, ''भारत में गोपनीयता और डेटा संरक्षणः ऐ महत्वपूर्ण मूल्यांकन'', भारतीय कानून संस्थान, वॉल्यूम–53, 4 नवंबर 2011, पेज. 663–677।

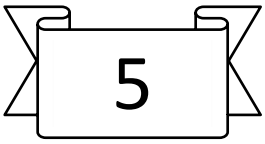

भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताः दुरुपयोग तथा वर्तमान परिदृश्य

काजल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में एक उच्च स्थान प्राप्त है क्योंकि भारत का संविधान स्वयं अपने नागरिकों को "विचार, अभिव्यक्ति, धारणा, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता" की गारंटी देता है। संविधान निर्माताओं ने हमें भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता दी है क्योंकि एक लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब विचारों का स्वतंत्र और निष्पक्ष आदान–प्रदान हो।

परंतु भाषण व अभिव्यक्ति ऐसी नहीं होना चाहिए जो लोगों को किसी भी प्रकार के अपराध करने के लिए उत्तेजित या प्रभावित करती हो, जो सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को भंग करती हो या किसी विशेष जाति, समुदाय, धर्म, आदि या किसी भी रूप से संबंधित व्यक्तियों क प्रति घृणा की भावना पैदा करती हो।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार नहीं है अपितु यह अनुच्छेद 19 (2) के अंतर्गत उल्लिखित सुरक्षा उपायों के साथ आता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में कहा गया है कि 'सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।' परंतु यह अधिकार अनुच्छेद 19 (2) में लगाई गई सीमाओं के अधीन है, जिसकी चर्चा लेख में आगे विस्तार से की गयी है।

वर्ष 2015 से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बड़ा वाद–विवाद का विषय रहा है। जिसमे अधिकतम लोगों, आंदोलनकारियों, राजनेताओं एवं बुद्धिजीवियों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है। इस लेख के द्वारा उन सभी घटनाओं एवं विवाद का विश्लेषण व उनके कारणों का मूल्यांकन किया गया है जिन्होंने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया।

भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य

"भाषण" और "अभिव्यक्ति" शब्द के लिए किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, तथापि न्यायालय ने वैधानिक रूप से निम्नलिखित बिंदुओं सम्मिलित करके इस मौलिक अधिकार की व्याख्या की है –

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की भावनाओं और संवेदनाओं को शब्द, रचना या मुद्रण आदि द्वारा अनौपचारिक रूप से व्यक्त करना।
- इसमें किसी के अपने विचारों को व्यक्त करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। इसमें अन्य लोगों के विचारों को प्रचारित या प्रकाशित करने का अधिकार भी सम्मिलित है, अन्यथा, इस स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं हो सकती थी।
- अभिव्यक्ति एक दूसरी समूह को बताती है, जिसके लिए विचारों का संचार किया जाता है। संक्षेप में, अभिव्यक्ति में प्रकाशन और वितरण या संचलन के विचार के साथ–2 भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मद्रास राज्य (1950) के विषय में वितरित किए गए मामले को प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।
- सूचना और विचारों को लिखने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता है, मौखिक या लिखित रूप से, चेतावनी मामला द्वारा या कानूनी रूप से संचालित दृश्य या श्रवण उपकरणों जैसे रेडियो, सिम्मैटोग्राफी, ग्रामोफोन, लाउडस्पीकर, आदि के द्वारा।
- इसमें न केवल विचार देने का अधिकार है, बल्कि आम हित के विषयों के बारे में दूसरों से विचारों और सूचना को प्राप्त करना और आयात करना अर्थात सूचित किए जाने का अधिकार भी शामिल है।

उचित प्रतिबंध – अनुच्छेद 19 (2)

प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में जहां मौलिक अधिकार हैं, वहां अधिकारों को सम्पूर्ण रूप से कभी नहीं दिया जाता है। प्रत्येक मौलिक अधिकार को उचित प्रतिबंधों के अधीन किया जाता है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) पर प्रतिबंध का उल्लेख अनुच्छेद 19 (2) में किया गया है। खण्ड 2 को 1951 और 1963 में संविधान में प्रथम और सोलहवें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था, जो निम्नलिखित आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधायिका को सक्षम बनाता है:

- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- राज्य की सुरक्षा
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
- सार्वजनिक आदेश
- शालीनता या नैतिकता
- न्यायालय की अवमानना
- मनहानि
- अपराध के लिए प्रोत्साहन।

भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग और वर्तमान परिदृश्य

स्वतंत्र भाषण एक गारंटीकृत अधिकार है, लेकिन आजकल के नागरिक झूठी जानकारी देने के लिए पूरी स्वतंत्रता लेते हैं। भारत जैसा देश जहां अच्छे भाषण के लिए आवश्यक है कि अच्छे लोगों के लिए परिवर्तन लाया जाए, परन्तु अब यह अनुचित अर्थों में परिवर्तन देखा जा रहा है। सरकार द्वारा किए गए अनुचित कार्यों या गतिविधियों को बदलने के लिए निः शुल्क भाषण एक आवश्यकता है। लेकिन गलत जानकारी का वितरण भी समस्या का एक विषय है। जिसका विस्तार 2015 के बाद से भारत में अधिक देखने को मिला है। जिसका मुख्य कारण राजनीतिक व विचारधारात्मक है।

2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय के पश्चात् बहुत–से राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न विषयों पर भाजपा की आलोचना व विरोध किया गया। यह विरोध प्रारंभिक समय में संविधान की सीमा में रहकर किया गया। परन्तु केंद्रीय सरकार द्वारा तीन तलाक़ को समाप्त करने व अनुच्छेद 370 को हटाने आदि जैसे निर्णयों को लागू किये जाने के पश्चात केंद्र विरोधी समूहों व दलों ने अनुचित रूप से जानकारी को रखने का प्रयास किया। जिसके अंतर्गत इन समूहों व राजनीतिक दलों ने अपनी वैचारिक विभिन्नताओं को अलग रखते हुए एक होकर केंद्र सरकार व उनके सभी निर्णयों के विरोध के लिए रणनीति तैयार की, विरोध की भावना में यह राजनीतिक दल व समूह इतने अधिक विवेक शून्य हो गए कि इनके आंदोलनों और विरोध को कब राष्ट्र विरोधी लोगों ने अधिकृत कर लिया इनको पता ही नहीं चला।

2019 के आम चुनावों के दौरान और चुनावों में असफल होने के बाद इन सभी लोगों के द्वारा भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना हथियार बनाया गया। हालाँकि पुस्तकों और लेखों के माध्यम से यह काम उनके द्वारा हमेशा से किया गया है लेकिन इतनी स्पष्टता के साथ व इतने बड़े पैमाने पर यह 2019 से देखा गया। जिसमे इनके द्वारा आंदोलन की रणनीति को तैयार किया गया फिर चाहे वह नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध सड़कों पर बैठ कर आंदोलन करना हो यह कृषि कानून के विरुद्ध आंदोलन करना हो। इनके द्वारा यह दो बड़े आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार के प्रति लोगो के मन में द्वेष उत्पन्न करना रहा है। आंदोलन करने का अधिकार हमारा संविधान हमे देता है, जिस संवैधानिक अधिकार का दुरूपयोग इन समूहों द्वारा किया गया।

यदि हम वर्तमान समय में कृषि आंदोलन की बात करे तो इस आंदोलन ने सबसे बड़ा प्रहार संविधान पर किया है। 26 जनवरी प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 26 जनवरी नागरिकों को यह आश्वासन देता है कि वे अपने मौलिक अधिकारों का आनंद ले सकते हैं साथ ही वह अपने विचार स्वतंत्र रूप से देश व विश्व के समक्ष रख सकते हैं। यह वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता है जिसको एक उत्सव की भाँति हर भारतीय प्रत्येक वर्ष मनाता है। परंतु 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हुई घटना ने इस भव्य पर्व को कलंकित करने का प्रयास किया। शाहीन बाग़ आंदोलन व कृषि आंदोलन में कुछ बातें समान रही है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः

- जैसाकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा कि कुछ लोगो का एक समूह है जो सभी आंदोलनों में उपस्थित होता है चाहे वह छात्र आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो या कृषि आंदोलन हो।
- दोनों ही आंदोलनों से पूर्व कान्नों के सन्दर्भ में गलत जानकारी का वितरण किया गया व अधिकतम आंदोलनकारियों को कानून की पूर्ण जानकारी नहीं थी।
- यह आंदोलन प्रारम्भ में ऐसे दिखाए जाते हैं कि यह संविधान की सीमा के अंतर्गत हैं और केवल सरकार विरोधी हैं परन्तु इन दोनों आंदोलन के साथ–ही हिंसात्मक गतिविधियों को देखा गया है जिनमे द्वेषपूर्ण भाषण का प्रयोग किया गया।
- दोनों ही आंदोलन देखते–2 सरकार विरोधी से देश विरोधी में परिवर्तित हो गए व दोनों आंदोलनों में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरूपयोग देखा गया।

वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हुए, गलत बयानों व झूठी जानकारी के वितरण के कारण निरक्षर लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता हैं। जिसके कारण उन्हें इन समूहों के वास्तविक उद्देश्यों का पता नहीं लगता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरूपयोग पहले भी देखा गया है परन्तु यह द्वेषपूर्ण भाषण के माध्यम से केवल विशिष्ट समूह तक सीमित रहा, सोशल मीडिया के आजाने से यह अधिक विस्तृत हो गया है और समुदाय या सरकार विरोधी से राष्ट्र विरोधी हो गया है।

सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी का वितरण कर अशांति उत्पन्न करने वाले लोगों के लिए यह सब करना सरल हो गया है। जिसके लिए सरकार को न केवल कानूनों की उचित जानकारी लोगों तक पहुँचाना आवश्यक है अपितु सोशल मीडिया पर रखी जा रही जानकारियों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है।

♦♦♦♦♦

6

भारत एवं कज़ाखिस्तानः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तुलनात्मक अध्ययन

चित्रा राजौरा

शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

शासन प्रणाली चाहे जो हो, प्रायः हर देश में राजनीति एक ऐसे देश के रूप में स्थापित हो रही है जिसका वर्चस्व और दबदबा समाज व्यवस्था के समूचे अंगो पर कायम होता जा रहा है– स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसका एक अहम स्तम्भ है। इसी प्रकार, किसी विशेष व्यक्ति के लिए उसके व्यक्तिगत विकास, गरिमा और आत्म–अभिव्यक्ति के सन्दर्भ में बोलने की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। सूचनाआं और विचारो का अपनी तरफ से आदान–प्रदान करने से एक व्यक्ति को छोटे पर्यावरण और बड़ी दुनिया दोनों के बारे में पता चलता है, जिसमे वे रहता है, उसे अपने जीवन की योजना बनाने और अपना काम करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर, बोलने की स्वतंत्रता अच्छी सरकार और देश क सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। इन शक्तियों में एक है समाचारपत्र जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। स्वतंत्रता के पूर्व समाचारपत्र का संघर्ष इतना बहुआयामी नहीं था जितना आज है। वर्तमान संदर्भ में इसकी परिभाषा में व्यापक अंतर देखा जा सकता है। भ्मंडलीकरण और वैश्विकरण के अंतराल में आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का असली स्वरुप नव मीडिया अर्थात वेब मीडिया ने प्रस्तुत किया है (फेसबुक, व्हाटसअप्प, ट्वीटर, गूगल प्लस, माय स्पेस, पिंटररेस्ट, और आरकुट आदि)। लेकिन इन सब का उपयोग किस सीमा और नियमों के अनुसार किया जाता है यह एक देश के लोकतांत्रिक शासन की वैधता के लिए महत्वपूर्ण रखता है।

वर्तमान में, भारत मं हो रहे कृषि आन्दोलन (2020 अब तक), अमेरिका में बिडेन सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन, और म्यांमार में हजारों लोगो द्वारा सैन्य सत्ता परिवर्तन के विरूद्ध रैली और आंग सान सू की रिहाई की मांग आदि। यह जनता का अपने राजनीतिक अधिकारों के व्यवहारिक उपयोग का एक सटीक उदहारण प्रस्तुत करता है। इस पत्र में, यह समझाने का प्रयास किया गया है की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को आधुनिक लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तम्भों में से एक क्यों माना जाता है? यह ज्ञात है की अधिकार और अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता की लड़ाई का एक लम्बा इतिहास रहा है जैसे इंग्लैंड की गौरव क्रांति (1689), और फ्रंच क्रांति (1789) ने मनुष्य और नागरिको के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था। यहाँ तक की अधिकार और अभिव्यक्ति के उचित अर्थ को समझने के लिए अनेक यूरोपियन और ग्रीक विचारको द्वारा सिद्धांत दिए गये जैसे जॉन मिल्टन और जे.एस.मिल द्वारा "ओन लिबर्टी" में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपने विचारो का उल्लेख किया गया है। जो आज भी काफी हद तक प्रासंगिक है उनके अनुसार, "व्यक्ति का विचार व अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का संपूर्ण विकास हो सके। समाज में परिवर्तन का आधार स्वतंत्र विचार एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही होते हैं। इनके अभाव में समाज की प्रगति अवरूद्ध हो जाती है। समाज की प्रगति के लिए वह सनकी व्यक्तियों को भी पूरी स्वतंत्रता देने का पक्षधर है। उसका कहना है कि यदि स्वतंत्र विचार उत्पन्न न हो तो समाज शीघ्र ही अपरिवर्तनशील व रूढ़ीवादी हो जाता है। मिल के अनुसार किसी व्यक्ति के विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार न तो समाज को है और न ही किसी व्यक्ति को"। आधुनिक लेखको द्वारा अभिव्यक्ति के अधिकार को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। इस आधार पर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में अपनाई गई थी। इस घोषणा के अनुसार यह भी बताया गया है" कि हर किसी को अपने विचारों और राय को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब अंतराष्ट्रीय और क्षेत्रोय मानवाधिकार कानून का एक भाग बन गए हैं।"

प्रस्तुत पत्र में, भारत और कजाखिस्तान देश का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है. एक तरफ भारत जैसे लोकतांत्रिक देश और वही अर्ध–लोकतान्त्रिक मध्य एशिया देशो में विशेषकरः कजाखिस्तान है। इस संदर्भ में, भारत और कजाखिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार सहित सार्वभौमिक मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। इन देशां ने अपने घरेलू कानून में अन्तराष्ट्रीय सिद्धांतों, मूल्यों और भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी, और दैनिक अभ्यास में उनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक प्रतिबद्धताएं की हैं।

इस प्रकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विभिन्न माध्यमों से सुशासन में योगदान करती है। विशेषतः लोकतंत्र में, विभिन्न राजनोतिक दलों के मध्य अनचाही चर्चाओ से उनकी शक्ति और दुर्बलताओं का पता चलता है, जिस कारण मतदाता यह निर्णय ले सके की उनमे से कौन देश का शासन संचालित करने के लिए अधिक तैयार है और उन्हें अपना वोट दे। मीडिया में अधिकारियो और विपक्ष का विचार भ्रष्टाचार और अन्य उल्लंघनो के विषयों को उजागर करता है, जो बईमानी

प्रथाआ को जड़ से रोकता है। एक तरफ कजाखिस्तान में पत्रकार सोवियत मीडिया प्रणाली से विरासत में मिली कठिनाईयों का सामना कर रहा है। इसके परिणामस्वरुप कजाखिस्तान आज भी पूर्व संरचनाओं से विरासत में मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधाओं का सामना कर रहा है। कजाखिस्तान में अभिव्यक्ति तथा मीडिया की स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति की जाँच करते समय यह विचार अधिक प्रासंगिक है। क्योकि सोवियत संघ विघटन के बाद से कजाखिस्तान में एकल सत्तावादी (नूर–ओटन) शासन प्रणाली स्थापित है। आज भी, मीडिया और नागरिक को अपने अधिकारों पर उचित प्रतिबन्ध लगा दिए जाते है जैसे कानून की अपूर्णता, सुरक्षा की कमी, प्रक्रियात्मक प्रतिबन्ध तथा अवैध प्रशासनिक दवाब आदि है। वही, कजाखिस्तान में इसका सोमित स्तर पर साधनों का उपयोग किया जाता है। जिसमे सबसे महत्वपूण मानवाधिकार विषयों में शामिल है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में अपनी सरकार चुनने को नागरिकों की क्षमता पर प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस, सभा, धर्म और संघ पर चयनात्मक प्रतिबंध, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की कमी और कानून की उचित प्रक्रिया, विशेष रूप से व्यापक भ्रष्टाचार और कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका में दुरुपयोग के मामलों आदि है।

दूसरा उदहारण, विशेषकर कजाखिस्तान राष्ट्रपति के नूरसुल्तान नजरबायेव (78 साल) के 30 वर्षो के सत्तावादी शासन से इस्तीफा देने के बाद, राजनोतिक परिवर्तन का प्रभाव कजाखिस्तान के लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद, नजरबायेव ने यह निर्णय लिया की वे अपनी सत्तारूढ़ नूर–ओतन पार्टी और शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बने रहेंग। इतिहास का यह निर्णय कजाखिस्तान की राजनीति वैधता पर बड़ा प्रश्न उठा रहा है। वैसे, कजाखिस्तान में राष्टपति चुनावों को जल्दी से आयोजित करने का एक कारण यह था कि 19 मार्च, 2019 की घटनाओं ने न केवल अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया, बल्कि पूरी नौकरशाही की शक्ति को भी कम कर दिया, जिसने पहले राष्ट्रपति के शासन काल के दौरान में नौकरशाहो ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। एतिहासिक रूप से, सोवियत संघ के विघटन के बाद, नूरसुल्तान नजरबायेव तीन दशको तक सत्ता में बने रहे है जोकि चार अन्य मध्य एशिया के देशो में से एकमात्र लम्बे समय तक रहने वाले नेता है। इसके विरूद्ध 2019 में हुई असंवैधानिक चुनाव व सत्ता हस्तान्तरण के विरूद्ध नागरिको ने हड़ताल करने का आयोजन किया था। इसके विपरीत, कजाखिस्तान राष्ट्रपति की घोषणा से पुलिस द्वारा लोगो की आवाज को दबा दिया गया जिसके कारण कजाखिस्तान में नागरिको को अपनी सरकार के विरूद्ध एक भी गलत प्रतिक्रिया को आगे बढने नहीं दिया गया। अतः यह कहा जा सकता है राजनोतिक वैधता को स्थिर रखने के लिए सरकार द्वारा लोगो की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार के कोई मायने नहीं रखता है। स्वतंत्रता से अब तक के

समय के ऐसे बहुत से उदहारण है जिसमे पत्रकारों की हत्या, गिरफ्तारी, अवैध जुर्माना, तथा पुलिस द्वारा गैर–कानूनी प्रतिक्रिया से आन्दोलन, हड़तालो, और विरोध प्रदर्शन आदि का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरूद्ध किया जाता रहा है. इस प्रकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सरकार और नागरिको के बीच पंगू बन कर रह जाती है।

तुलनात्मक रूप से, भारत में नागरिको को सरकार की आलोचना करने, सुझाव देने, और अपने विचारो को प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है यह सब एक सुशासन को बढावा दे रहा है। इसके विपरीत, भारत में अनेक ऐसी घटनाएँ हुई है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मीडिया का कटपुतली के माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर, इस पत्र में तुलनात्मक माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न किया गया है की दोनों देश सामान स्तर पर अपने लोकतान्त्रिक संस्थाओ का गठन एक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली को स्थापित करने के लिए कर रहे है। लेकिन कजाखिस्तान में सोमित–स्तर किया पर जाता है। क्योकि मध्य एशियाई देशो को सोवियत संघ से 1991 में स्वतंत्रता मिली। जोकि किसी भी देश के लिए एक बहुत कम समय होता है अपने देश के विकास के लिए। दूसरा, आर्थिक और राजनोतिक रूप से सोवियत संघ के प्रभुत्व में होने के कारण यह देश लोकतांत्रिकरण के लिए बहुत ही कमजोर थे और, अपने देश के विकास के लिए पूरी प्रकार से सोवियत संघ पर निर्भर थे। लेकिन, कजाखिस्तान आज संसार में अपनी मजबूत स्थिति बना चुका है। कजाखिस्तान के 1995 संविधान में अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद–20 में वर्णित किया गया है। जिसके अंतर्गत "भाषण और रचनात्मक गतिविधियों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गयी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप निषिद्ध होगी। नागरिको को कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी तरह से स्वतंत्र रूप से जानकारी प्राप्त करने और प्रसारित करने का अधिकार होगा। कजाखिस्तान गणराज्य के राज्य रहस्यों को बनाने वाले विषयों की सूची कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी।"

इस प्रकार, दोनों देशो के संविधान में नागरिको के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत में स्वाधीनता के पश्चात लोकतंत्र और विकास के सिद्धांतो पर आधारित किया और दूसरा व्यक्ति क विचारो के लिए सम्मान तथा मत–भिन्नता को आधार स्तम्भ बनाया गया। भारत को एक सफल लोकतंत्र का उदहारण माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। इसलिए अनुच्छेद–19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। इस प्रकार यह देखा गया है की भारत में लोकतान्त्रिक वैधता को न केवल पुर्नजीवित किया है साथ ही इसकी जड़े

मजबूत हुई है। इसमें अधिकारों की सीमाओ का विस्तार किया गया है जो नागरिको की जीवनशैली व्यवस्था का पुर्नगठन करेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की बेहतर समाजिक व्यवस्था का वैध हथियार बन गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र के आधार के रूप में जाना जाता है। भारत और कजाखिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के अभ्यास में योगदान करती है। इस परिपेक्ष्य में, यह ज्ञात करना अधिक रुचिकर होगा की भारत का लोकतंत्र शासन प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। दूसरा, भारत में नागरिको को अबाध रूप से अपने अधिकारों का उपयोग किया जाता है यदि हम दो देशो का तुलनात्मक अध्ययन करते है तो यह विश्लेषण करना अधिक सरल हो जाता है की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस–स्तर तक शासन प्रणाली को सफल बनाने आर वैधता स्थापित करने में सफल सिद्ध हुए है। क्योंकि दोनो देशा में इसका अभ्यास अलग–अलग स्तर पर किया जाता है। दोनों देशो के गुणात्मक और मात्रात्मक स्तर में अंतर देखा जा सकता है।

यह भी अनुमान लगा सकते है है की कजाखिस्तान जो लोकतान्त्रिकरण की दिशा में अग्रसर है। अतः यह कहा जा सकता है की मीडिया जो सरकार और नागरिको के बीच एक सेतू का काम करती है वे भी तीन टाइपोलॉजी में विभाजित हैः– कजाखिस्तान में मीडिया को विभिन्न मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैः 1) प्रकाशन की भाषा द्वाराः रूसी–भाषी, कजाख–भाषी, द्विभाषी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की भाषाओं में, अंग्रेजी बोलने वाले, 2) प्रकाशन की प्रकृति से आधिकारिक, समथक सरकार, विपक्ष, पार्टी, पेशेवर, 3) प्रकाशन की विधि द्वाराः प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार मीडिया केवल उन समूहों में रुचि रखता है जो सामाजिक राय के गठन को वास्तव मे प्रभावित करने में सक्षम हैं। अतः कजाखिस्तान में सरकार लोगो को अपनी मांगो को खुल कर प्रस्तुत करने के अधिकारों से वंचित कर देती है जिसके कारण कजाखिस्तान में मीडिया को सरकारी हित में खबर प्रकाशन किया जाता है। मीडिया वॉच आदिल सोज के अनुसार, "2017 में मीडिया आउटलेट और जर्नलिस्ट के विरूद्ध सिविल मुकदमों के 61 मामले और 76 मामले थे, जिनमें कजाखिस्तान में पत्रकार को हिरासत या गिरफ्तारी के अनुसार लिया गया था" (Askerova, 2018) ।

इसके विपरीत, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह आरोप है की वे एक तरफा सुचना और विचार के क्षेत्र का विस्तार करते हैं, जबकि द्सरी ओर पक्षपाती विचारों को उकसाने का काम करते हैं और स्वस्थ वाद–विवाद के अवसरों को कम करते हैं। लेकिन अगर हम कजाखिस्तान में सोशल मीडिया के सूचना क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो कजाखिस्तान राष्ट्रपति तोकायेव का

सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, ओडनोक्लांस्की, इंस्टाग्राम, माई वर्ल्ड, और वोकंट्टे) पर पूरा नियंत्रण है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति ने सत्यापन या डिजिटल हस्ताक्षर को पंजीकृत करने के लिए कानूनन बाध्य करने वाली वेबसाइटों की घोषणा की है। कजाखिस्तान के सूचना और संचार मंत्री डॉरेन आबयेव ने कहा कि अंतजातीय व जातीय कलह को उकसाने या असंवैधानिक कार्यों के लिए बुलाने के विषयों में निर्णय लिया गया है। इसलिए, उसके बाद कई अखबारों और मीडिया चनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सिद्धांत रूप में, यह कानून मुक्त भाषण के अधिकार के विरूद्ध है और यह सरकार द्वारा इंटरनेट पर नियंत्रण को कड़ा करने के लिए अपनाई गई दमनकारी नीतियां है। वही दूसरा उदाहरण, कजाखिस्तान में प्रभुसत्तावादी शासन की प्रक्रिया को लागू किया हुआ है जिसके कारण सरकार के खिलाफ कोई भी नागरिक को आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन, असहमति प्रकट करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

भारत के सन्दर्भ में, अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का व्यापक स्तर पर ब्रिटिश समय से आज तक उपयोग किया रहा है। जिसके कारण सरकार को अपनी वैधता को स्थिर रखने के लिए नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता को अपने हित में ही उपयोग के लिए अमलीजामा पहनाया जाता रहा है। हाल ही में, भारत में चल रहे किसान आन्दोलन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उत्तम उदहारण माना है. वही, सरकार द्वारा किसानो की आवाज को दबाने और पुलिस द्वारा गैर–कानूनी प्रकार से लाठी चार्ज, आसू गैस, और अवैध माध्यम से आन्दोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन किसानो द्वारा आज अभी अपनी मांगो को पूरा करने के लिए आन्दोलन को चाल् रखा हुआ है। यह एक सफल लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का जीवंत उदहारण है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है भारत के नागरिक अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक व व्यवहारिक रूप से अपने अधिकारों का उपयोग कर पाते है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णरूप विवादित विषय है। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी सरकार के लिए सकारात्मक होती है। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है की नए कानून या सरकारी कार्यक्रमों के सभी प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए। नागरिक या मीडिया को सत्ता में बैठे लोग समस्याग्रस्त विषयों के बारे में जानेगे और पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया दे पाएगे। जोकि सरकार की अपने नागरिको के प्रति जवाबदेही के लिए एक आवश्यक तत्व है। इस तरह, भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त प्रेस के संदर्भ में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सवैधानिक औपचारिकता अधिक और व्यवहारिक यथार्थ कम है। लोकतंत्र की परिपक्वता, राजनितिक जागरूकता, सामाजिक दायित्व और शिक्षा के विकास के साथ–साथ

नागरिको में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उपभोग के अवसर में वृद्धि होती जाएगी। अंत में यह कहा जा सकता है की विश्व में अपनी प्रजातान्त्रिक देशो की तुलना में भारत में यह स्वतंत्रता अनुपातिक दृष्टि से संतोषजनक है। कजाखिस्तान इस दिशा में अपनी छवि बनाने में प्रयासरत है.

चाहे शासन की प्रकृति सत्तावादी (कजाखिस्तान) या लोकप्रिय हो (भारत) तुलनात्मक रूप से दोनों देशो में अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यवहारिक रूप से अंतर देखा जा सकता है। क्योकि एक तरफ नागरिक शक्तिसम्पन्न है तो दूसरी तरफ शासनधीन है, शक्तिसम्पन्न के आधार पर वह कानून बनाता है और शासनधीन के तौर पर उनका पालन करता है। कजाखिस्तान और भारत, दोनों देशो का उपनिवेशवादी इतिहास रहा है जिसमे दोनों देशो द्वारा अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षो का सामना कर देश को एक लोकतान्त्रिक देश बनाने के लिए पुरजोर प्रयास किया गया है। दोनों देशो में अपने नागरिको के हितों को ध्यान में रख कर एक वैध संवैधानिक सरकार का गठन किया तथा संविधान का निर्माण किया जिसमे नागरिको के अधिकारों और स्वतंत्रता को अपनाया गया है। लेकिन आज तक लोग इसके प्रति संघर्ष कर रहे है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो रहे है। यह शक्ति राजनीति को पथभ्रष्ट हाने से रोकने का प्रयास कर रहो है।

♦♦♦♦♦

7

गणतंत्रः दक्षिण एशियाई क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन

प्रीति यादव

प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली शिक्षा निदेशालय

दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व मानचित्र का वह भाग है जो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के दक्षिणी भाग में आता है। इस क्षेत्र में संसार की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है, जिसको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति के समस्त पहलुओं में देखा जा सकता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र की अपनी एक प्राकृतिक सीमा भी है जो इसको एशिया महाद्वीप पर एक विशिष्ट प्राकृतिक सांचा प्रदान करती है– जैसे उत्तर में सुशोभित हिमालय पर्वतमाला, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इस प्रकार यह प्राकृतिक सीमा इस क्षेत्र को एक पारिस्थितिकी सीमांकन प्रदान करती है। इस दक्षिण एशियाई पारिस्थितिकी में अवस्थित राजनीतिक इकाइयों में 8 देश शामिल है। यह 'दक्षेस' के सदस्य भी हैं– भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। दक्षेस देश विश्व की एक चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत इन सभी राजनीतिक इकाइयों के मध्य एक विशाल एवं व्यापक क्षेत्र लिए हुए हैं जिस कारण इस क्षेत्र को 'भारतीय उपमहाद्वीप' के नाम से भी संबोधित किया जाता है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र की प्राकृतिक सीमा समान होने के साथ ही इस क्षेत्र की सांस्कृतिक–सामाजिक विशिष्टता भी इसको एक समान कड़ी प्रदान करती हैं। पौराणिक काल से लेकर आधुनिक काल तक का इतिहास 8 देशों के मध्य घनिष्ठ जुड़ाव का इतिहास बतलाता है। वैदिक काल से इस क्षेत्र में हिंदू सनातनी सभ्यता एवं संस्कृति की प्रमुखता रही है– हिंदू–कुश क्षेत्र को पौराणिक रूप से श्री राम जी के पुत्र कुश का साम्राज्य माना जाता है। प्राचीन काल में भारत के महान शासक मौर्य, कुषाण एवं गुप्त ने इस क्षेत्र को अपना विशाल साम्राज्य बनाया था।

मध्यकाल में मराठा, प्रतिहार, चोल और विजय नगर द्वारा इस क्षेत्र में अपना दबदबा रखा गया था तो आधुनिक काल में ब्रिटिश शासकों ने इस संपूर्ण क्षेत्र को अपने उपनिवेश के रूप में समान इतिहास प्रदान किया है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में हिंदू, बौद्ध एवं मुस्लिम संस्कृ

ति प्रमुख है जिसकी जननी एवं प्रचारक स्त्रोत भारत की भूमि ही है। संक्षेप में कहें तो इस क्षेत्र के वर्तमान सांस्कृतिक–सामाजिक तानेबाने का बुनकर भारत ही है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में गणतंत्र की स्थितिः– संघर्ष एवं चुनौतियाँ

दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी देश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मध्य बीसवीं सदी तक ब्रिटिश शासन के उपनिवेश रहे हैं। स्वतंत्रता के उपरांत इन सभी देशों ने शासन के आधुनिक स्वरूप संवैधानिक लोकतंत्र को अपनाने का प्रयास किया परंतु यह क्षेत्र लोकतंत्र को एक आदर्श गणतंत्र स्थिति में लाने के लिए निरंतर संघर्षरत है जिसका विश्लेषण निम्नांकित हैः–

- पाकिस्तान ने 1947 मे स्वतंत्रता के पश्चात माउंटबेटन योजना में प्रस्तावित संघीय संवैधानिक गणराज्य शासन को अपनाने का प्रयास किया। परंतु कमजोर राजनीतिक नेतृत्व एवं इच्छाशक्ति के कारण लोकतंत्र पाकिस्तानी शासन व्यवस्था की आत्मा नहीं बन पाया। सेना और गणतंत्र के बीच सत्ता का खेल प्रारंभ हुआ, जिसकी परिणति एक कमजोर गणतंत्र के रूप में सामने आती है।
- 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के पिंजरे से मुक्त कराने का श्रेय भारत को जाता है। इसकी आवाज वहां के नेता शेख मुजीब उर रहमान बने थे। 1971 में स्वतंत्रता के पश्चात बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य के रूप में घोषित किया गया, परंतु 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद शासन व्यवस्था लोकतंत्र–सैन्य तंत्र के ध्रुरुवीकरण का शिकार बन गई।
- नेपाल की गणराज्य शासन व्यवस्था को प्राप्त करने की कहानी भी अत्यंत जटिलताओं से भरी हुई है। 1948 के बाद से ही 5 बार संविधान बनाने के प्रयास निरर्थक रहे जिसके उपरांत 1991 का संघर्ष राजा की शक्तियों के विरुद्ध व्यापक संघर्ष रहा, परंतु संवैधानिक गणराज्य की स्थापना संभव नहीं हुई। गणराज्य की स्थापना हेतु 2002 में पुनः संघर्ष आरंभ हुए जिसकी परिणति के परिणाम स्वरूप 2008 में नेपाल पूर्ण गणराज्य बना और 2015 में उसने नए संविधान को अपनाया।
- भूटान में राजतंत्र अत्यंत प्राचीन रहा है संवैधानिक लोकतंत्र की मांग हेतु संघर्ष के बावजूद 2008 में भूटान को मात्र संवैधानिक गणराज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पूर्ण गणराज्य की यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है।

- मालदीव ने 1965 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात अपनी सल्तनत व्यवस्था को 1968 में समाप्त कर गणराज्य की स्थापना की, परंतु यह गणराज्य मात्र छलावा था जिसके पीछे राष्टपति तानाशाही शासन चला रहे थे। अरब स्प्रिंग के दौरान 2011–12 में मालदीव में भी राजनीतिक संकट आया जिसके अंतर्गत जनता ने राष्ट्रपति मोहम्मद नासिर से त्यागपत्र की मांग की जो पिछले 30 वर्षों से निरकुंश रूप से शासन कर रहे थे, जनता के दबाव में आकर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ा और नए नेता का निर्वाचन हुआ। फिर भी मालदीव में राजनीतिक संकट वहां पर गणराज्य की कमजोर स्थिति के कारण बना रहता है।
- श्रीलंका ने 1948 में आजादी के उपरांत से ही एक मजबूत गणराज्य की स्थापना की, इस देश द्वारा अर्द्ध–अध्यक्षात्मक गणराज्य शासन व्यवस्था को अपनाया गया। देश के भीतर सिंहली–तमिलों का संघर्ष एक बड़ी समस्या है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनी रहती है परंतु घरेलू अस्थिरता ने गणराज्य को कमजोर नही किया। इस देश का गणराज्य स्वतंत्रता के पश्चात मजबूत बना हुआ है।
- भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है और यहां पर विश्व का सबसे विशालतम लोकतंत्र बसता है, 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्ष पूर्ण होने के नजदीक और लोकतंत्र के साथ मजबूती से खड़ा हुआ भारत संपूर्ण दक्षिण एशिया और विश्व के लिए गणराज्य का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है।

<u>जन गण संबंध तालिका</u>

देश का नाम	लोकतंत्र इंडेक्स (Economist intelligence unit report on democracy status, 2020)	मानव पूंजी स्कोर (world bank report on HCI] 2020)
भारत	53 (First Position)	0.49 (Third Position)
श्रीलंका	68 (Second Position)	0.60 (First Position)
पाकिस्तान	105	0.41
बांग्लादेश	76	0.46
नेपाल	92	0.50
भूटान	84	0.48
अफगानिस्तान	139	0.40

मलदीव	84	No participated

उपरोक्त तालिका के अंतर्गत इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ष 2020 में प्रतिपादित किए गए लोकतंत्र इंडेक्स और वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ष 2020 में जारी की गई मानव पूंजी स्कोर की तुलना से स्पष्ट निहितार्थ विश्लेषित होता है।

भारत (DI 2020)=53 ……1स्थान

भारत (HCI 2020)=0.49 ……3स्थान

श्रीलंका (DI 2020)=68 ……..2स्थान

श्रीलंका (HCI 2020)=0.60 …….1स्थान

निहितार्थः– लोकतंत्र का उत्थान ≈ मानव पूंजी का उत्थान

अतः उपयुक्त तालिका से प्राप्त निहितार्थ स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया के जिन देशों में गणतंत्र की स्थिति मजबूत है वहां पर मानव पूँजी का स्तर भी ऊंचा है।

'जन–गण अधिनायक दर्शन'– भारत और श्रीलंका के संदर्भ में

दक्षिण एशिया क्षेत्र के तुलनात्मक अध्ययन करने से और उपरोक्त तालिका को समझने से स्पष्ट सत्यापित होता है कि गणतंत्र ही मानव तंत्र को मजबूत बनाता है अर्थात जन को अधिनायक बनाने का मंत्र पूर्ण एवं शक्तिशाली गणतंत्र में छिपा है।

इस 'जन–गण अधिनायक दर्शन' को दक्षिण एशिया के दो देश भारत एवं श्रीलंका द्वारा मजबूत रूप से अपनाया गया है। जहां पर लोकतंत्र इंडेक्स के मजबूत होने के साथ ही साथ मानव पूंजी इंडेक्स भी ऊंचा है। इसके विपरीत अन्य दक्षिण एशियाई देशों में शासन व्यवस्था में अस्थिरता एवं अस्पष्टता होने के कारण मानव पूंजी भी अपनी इष्टतम क्षमता को प्राप्त नहीं कर पा रही है अतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र के अन्य देशों को भारत एवं श्रीलंका के गणतंत्र दर्शन से सीख लेनी चाहिए और एक मजबूत शासन व्यवस्था प्रदान करके जन को अधिनायक बनाया जाना चाहिए।

♦♦♦♦♦

संदर्भ सूची

Susan S Wadley(2014).South Asia in the world: An introduction.Tylor & Francis group

Democracy index 2020-In sickness and in health. The Economist intelligence unit

The 2020 Human capital index. The World Bank

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली–110007